# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 208 / 2023

अनवान : –

1. रामप्यारी उर्फ शकुन्तला देवी पत्नी महिपतराम जाति जाट निवासी साहवा तहसील तारानगर।

– सायल

**बनाम्**

1. संतोष पत्नी चरणसिंह जाति जाट निवासी कानसर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

**प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा**
**अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.**

उपस्थिति :– 1. श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **सायल**

**निर्णय** दिनांकः 11/03/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 535 / 534 की कुल 8.7380 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि सायला के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 228 / 216 की कुल 1.3660 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है।

सायल व गैरसायलान की भूमि एक दुसरे की चिपती हुई भूमि है गैरसायल स0 1 जो की सायल की भूमि के पश्चिमी दिशा में चिपती हुई एवं पड़ौसी काश्तकार है गैरसायल स0 1 आये दिन सायला को तंग व परेशान करती है एवं जबरिया सींव व डोल तोड़कर ख0न0 99 में अवैध खनन कर रही है जिससे सायला की भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है तथा गैरसायल स0 1 बिना पैमाइश करवाये सायल की भूमि में प्रवेश करना चाहती है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायल स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 98 व 99 जब तक पैमाईश नही हो जाती रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 99 की भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 प्रार्थीया के धारित रकबे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे एवं सींव व डोल न तोड़े।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब [illegible] गया। अप्रार्थी को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नही [illegible] अप्रार्थी [illegible] के [illegible]ीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 11:10:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की सायल व गैरसायलान की भूमि एक दुसरे की चिपती हुई भूमि है गैरसायल स0 1 जो की सायल की भूमि के पश्चिमी दिशा में चिपती हुई एवं पड़ौसी काश्तकार है गैरसायल स0 1 आये दिन सायला को तंग व परेशान करती है एवं जबरिया सींव व डोल तोड़कर ख0न0 99 में अवैध खनन कर रही है जिससे सायला की भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो रही है तथा गैरसायल स0 1 बिना पैमाइश करवाये सायल की भूमि में प्रवेश करना चाहती है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायल स0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 98 व 99 जब तक पैमाईश नही हो जाती रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि कब्जा व काश्त का बिंदु मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 535/534 की कुल 8.7380 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि सायला के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के खाता स0 228/216 की कुल 1.3660 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थीया का कथन है कि ख0न0 99 की भूमि में अप्रार्थी स0 1 द्वारा जबरन प्रार्थी के हिस्सा में दखल दिया जा रहा है। अतः जब तक पैमाईश न हो तब तक अप्रार्थी स0 1 प्रार्थीया के धारित रकबे में दखल अन्दाजी न करे। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामाल प्रार्थी के पक्ष मे बनता है न की अप्रार्थी के जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बन गया है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को न की अप्रार्थी को क्योंकि प्रार्थी द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि में दखल न देने हेतु अप्रार्थी को पाबन्द करवाया जा रहा है। उक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि जब तक मुल वाद का निस्तारण न हो तब तक रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के ख0न0 99 की भूमि में प्रार्थीया के धारित रकबे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करे एवं सींव व डोल न तोड़े। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.17 11:10:13 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर